UPBB010027092022

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–02, बाराबंकी

सत्र वाद संख्या–589/2022

सरकार बनाम अनूप कुमार सिंह व अन्य

मुकदमा अपराध सं०–239/2020,
धारा–323, 504, 506, 325, 308 भा०द०सं०,
थाना–फतेहपुर, जिला बाराबंकी।

दिनांक 10.07.2026

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई।

उभय पक्षो को प्रार्थना पत्र ब–23 अं०धारा 319 द०प्र०सं० पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

वादी मुकदमा/प्रार्थी विनय कुमार सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र ब–23 अं०धारा 319 द०प्र०सं० मय शपथ पत्र, इस आशय का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वाद का वादी मुकदमा है और सभी तथ्यों से अवगत है। उक्त वाद में वादी मुकदमा के बड़े भाई चश्मदीद साक्षी व मजरूब विनय कुमार सिंह है। दिनांक 02.07.2020 समय करीब 11:00 बजे अपनी पैतृक बाग़ में आम तुड़वा रहे थे, तभी एकाएक विपक्षीजन चार लोग गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह, अनूप सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह, अनुज सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह, गोलू सिंह पुत्र अनूप सिंह ने आकर घेर लिया, जिसमें गौरव सिंह के हाथ में धारदार हथियार, बीरू व बाकी लोगों के हाथ में लाठी डण्डा थे। सभी उसके भाई को घेरकर मारने पीटने लगे, जिसमें उन्हें काफी चोटें आयी। शोर सुनकर वादी व उसका भतीजा रिशी सिंह भागकर पहुँचे, किसी तरह उसको बचाया, तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी व गालियां देते हुए चले गये। विपक्षीगण गौरव सिंह, अनूप सिंह, अनुज सिंह व गोलू सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं०–239/2020 धारा–323, 504, 506, 325, 308 भा०द०सं० में दर्ज कराई। उक्त वाद में विपक्षीजन गौरव सिंह, अनूप सिंह, अनुज सिंह, गोलू के हाथ में बीरू व लाठी डंडे से मारा पीटा। वादी मुकदमा (साक्षी प्रथम) ने सशपथ मुख्य परीक्षा में गौरव सिंह व अनूप सिंह व अनुज सिंह पुत्रगण इन्द्रा प्रसाद सिंह का बयान न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष अंकित किया गया है। उक्त वाद में द्वितीय विनोद कुमार सिंह साक्षी आये। किरन सिंह ने सशपथ साक्ष्य मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण गौरव सिंह, अनुज सिंह, अनूप सिंह पुत्रगण इन्द्रा प्रसाद सिंह को न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष अंकित किया गया है। उक्त वाद में नामजद अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह एक पुलिस विभाग में सिपाही पद पर सेवारत है और घटना के दिनांक 02.07.2020 समय करीब 11:00 बजे घटना स्थल पर मौजूद थे। अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह पुलिस विभाग में

Digitally signed by ASAD A HASHMI
Date: 2026.07.10 16:23:39 IST
Reason: Order
Location: Addl. Session Judge, Court No.-02. Barabanki.

होने के कारण विवेचक से साठगांठ करके तथा हर प्रकार का दबाव बनाकर गाँव में डर पैदा कर दबाव बनाकर विवेचक से मिल कर नाम विलोपित करवा लिया, विवेचक ने नामजद अभियुक्त का नाम विलोपित कर दिया। प्रार्थी ने गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह को नामजद किया था, क्योंकि मौके पर मौजूद थे। प्रार्थी ने अपने मुख्य परीक्षा में गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह को मारने की बात न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष मुख्य परीक्षा में कही है और मजरूब चोटहिल विनोद कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा में जो घटना का साक्षी है, गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह को घटना में सम्मिलित होना कहा है और साक्ष्य दिया है, किंतु अभियुक्त नामजद गौरव सिंह पुलिस विभाग में कार्यरत है, अपने प्रभाव व दबाव में विवेचक से मिलकर के गांव में दबाव बना करके दौरान विवेचना अपने नाम को विलोप कर दिया है, जबकि नामजद अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह मौके पर था, सभी लोगों ने मिलकर मारपीट की, जबकि वादी मुकदमा के भाई विनोद सिंह को चोट पहुंचाई है। इस कारण न्यायहित में गौरव सिंह पुत्र इन्द्रा प्रसाद सिंह को तलब किया जाना आवश्यक है। अनुरोध किया गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी द्वारा नामजद अभियुक्त गौरव सिंह को न्यायहित में तलब किया जाना आवश्यक है।

अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र ब–23 अं०धारा 319 द०प्र०सं० के विरूद्ध पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध चिक एफ०आई०आर० के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा के द्वारा अभियुक्तगण गौरव सिंह, अनूप सिंह, अनुज सिंह व गोलू सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें प्रस्तावित अभियुक्त गौरव सिंह नामजद अभियक्त है, परन्तु विवेचक के द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त गौरव सिंह का नाम निकाल कर मात्र अभियुक्तगण अनूप कुमार सिंह व अनुज कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अं०धारा–323, 504, 506, 325, 308 भा०द०सं०, प्रेषित किया गया है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में अब तक पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा विनय कुमार सिंह व पी०डब्लू०–2 विनोद कुमार को परीक्षित कराया जा चुका है।

साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा विनय कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट शब्दो में कहा है कि विपक्षीगण अनुज कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह, गौरव सिंह पुत्रगण स्व० इन्द्र प्रसाद सिंह, हर्ष प्रताप पुत्र अनूप सिंह यह सभी लोग हमारे भाई विनोद कुमार सिंह को गन्दी–गन्दी गाली देने लगे तथा लाठी डण्डा व लोहे का बीरू जो धारदार था, उसी से मारने पीटने लगे तथा बचाव पक्ष की ओर से जिरह में प्रस्तावित अभियुक्त गौरव सिंह के परिप्रेक्ष में कोई प्रश्न नही पूछा गया, जिससे उसकी संलिप्तता संदिग्ध हो। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–2 विनोद कुमार, जो प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा का भाई एवं चोटहिल है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अनुज कुमार, अनूप कुमार, गौरव व हर्ष प्रताप मुझे आम तोड़ने से मना करने लगे, इसी बात से नाराज होकर सभी लोग एक राय होकर गाली देते हुए लाठी डण्डो

से मुझे मारने पीटने लगे तथा साक्षी ने जिरह में कहा है कि आम अनुज और अनूप, गौरव सिंह व हर्ष प्रताप सिंह तोड़ रहे थे। इस साक्षी से प्रस्तावित अभियुक्त गौरव सिंह के परिपेक्ष में कोई जिरह नहीं की गयी, परन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पी०डब्लू०–1 व 2 के द्वारा अपने बयानो में प्रस्तावित अभियुक्त के द्वारा भी मारपीट करना कहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध मजरूब विनोद कुमार सिंह की आघात आख्या में उसके शरीर पर 14 चोटें विभिन्न प्रकार की शरीर के विभिन्न अंग पर आना अंकित है, जिसमें से चोट सं०–9, 12 व 14 को छोड़कर सभी चोटे साधारण, ताजी व कुन्दालय से आना अंकित है। चोट सं०–9, 12 व 14 के परिपेक्ष में डिस्ट्रिक हास्पिटल बाराबंकी रिफर किया गया था तथा एक्सरे व सी०टी० स्कैन हेड की सलाह दी गयी।

सम्पलीमेन्ट्री एक्सरे रिपोर्ट **right wrist joint (5th metacarpal bone)–** में **fracture** पाया गया है तथा **CT Head** विनोद कुमार सिंह में **"Hair line fracture right parieto temporo petrous bone with thin extradural bleed of thickness 4 mm seen underlying."** अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि मजरूब के सिर में भी फैक्चर पाया गया। उक्त सभी चोटों को इस स्तर तक परीक्षित साक्षीगण के द्वारा प्रस्तावित अभियुक्त सहित अन्य सहअभियुक्तो के द्वारा पहुँचाया जाना कहा है।

लघुजी अमृतजी ठाकोर तथा अन्य प्रति स्टेट आफ गुजरात तथा अन्य, 2019 (1) **जे०आई०सी० 55 उच्चतम न्यायालय,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि धारा–319 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि पत्रावली पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य से अधिक साक्ष्य होना चाहिये, तब धारा 319 द०प्र०सं० के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को विचारण हेतु तलब किया जा सकता है। उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह प्रति स्टेट आफ पंजाब 2014 एस०सी०सी० 92** को भी संदर्भित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने के आधार पर तलब किया जा सकता है। यह भी अवधारित किया गया है कि न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं इस विषय का समाधान अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर करें कि क्या अभियुक्त के रूप में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति उस अपराध के कारित किये जाने में लिप्त था, जिसके लिये उस व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्त के साथ किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित साक्षियो के बयान एवं विधि व्यवस्थाओ में प्रतिपादित सिद्धान्तो तथा उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त गौरव सिंह के विरूद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे कि प्रस्तावित अभियुक्त गौरव सिंह का विचारण इस मामले के अन्य अभियुक्त अनूप कुमार सिंह व अनुज कुमार सिंह के साथ किया जा सके।

उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी मुकदमा विनय कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ब–23 अं०धारा 319 द०प्र०सं०, स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी मुकदमा विनय कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ब–23 अं०धारा 319 द०प्र०सं०, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त गौरव सिंह को मुकदमा अपराध सं०–239/2020, थाना–फतेहपुर, जिला बाराबंकी के मामले में धारा–323, 504, 506, 325, 308 भा०द०सं०, के अन्तर्गत विचारण हेतु बतौर अभियुक्त तलब किया जाता है।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक 30.07.2026 को पेश हो। अभियुक्त गौरव सिंह को सम्मन जारी हो।

(असद अहमद हाशमी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–02, बाराबंकी।
JO Code UP6327

दिनांक 10.07.2026